339

आयोजनागत
संख्या–95 / XXII / 2015–5(11)2011

प्रेषक,

**मोहम्मद शाहिद,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
सूचना एंव लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 21 जनवरी, 2015

विषय :– **जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रेस क्लब, नई टिहरी के भवन निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–444 / सू.एवं.लो.स.वि.(प्रेस)–41 / 2002, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–1055 / XXVII(1) / 2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रेस क्लब, नई टिहरी के भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी द्वारा गठित आगणन रू0 118.72 लाख के आगणन पर टी.ए.सी. (वित्त विभाग) द्वारा परीक्षणोपरान्त आगणन में आंकलित धनराशि रू0 116. 34लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 91.89 लाख तथा उक्त के अतिरिक्त आगणन में प्राविधानित धनराशि रू0 2.38 लाख अर्थात् कुल रू0 94.27 लाख (रूपये चौरानवे लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि औचित्यपूर्ण पाये जाने के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या–68 / XXII / 2013–5(11)2011, दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1.11 लाख को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि रू0 93.16 लाख के सापेक्ष रू0 30.00 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2014–15 में इतनी ही धनराशि रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है, कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में प्राविधानित धनराशि रू0 2.38 लाख के कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति करा लें।

5– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

6– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

9– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

10– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– उपयुर्क्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार–60–अन्य–103–प्रेस सूचना सेवायें–03–उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना–00–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष हेतु अवमुक्त की गई धनराशि से किया जायेगा।

13– उपयुर्क्त स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 18 मार्च, 2014 में निहित दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी की जा रही है। अतः उक्त शासनादेश के समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृ0संख्या– 95 (1)/XXII/2015 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5/7, वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव।

## बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

**Secretary, Information (S024)**

आवंटन पत्र संख्या - **95/XXII/2015-5(11)2011**

अनुदान संख्या - **014**

अलोटमेंट आई डी - **S1501140263**

आवंटन पत्र दिनांक -21-Jan-2015

**HOD Name - Director Information (4731)**

1: लेखा शीर्षक

2220 - सूचना तथा प्रसार

103 - प्रेस सूचना सेवायें

00 - उत्तरांचल में प्रेस क्लबों की स्थापना

60 - अन्य

03 - उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना

Plan Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 24 - वृहत निर्माण कार्य | 0 | 3000000 | 3000000 |
| | **0** | **3000000** | **3000000** |

**Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3000000**